न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 18/2023
दायर दिनांक : 13.12.2023
निर्णय दिनांक : 27.11.2025

उनवान

1. दीपिका व्यास पत्नी यतीश व्यास निवासी गिर्वा जिला उदयपुर
2. अविनाश शर्मा पिता बंशीलाल शर्मा निवासी बडगांव जिला उदयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1 तहसीलदार भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :1. श्री शब्बीर मोहम्मद, अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय ::

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जिसके संक्षित में तथ्य इस प्रकार है कि :

यह कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि राजस्व ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का कानरखेडा भू0अ0नि0 ताणा के खाता संख्या पुराना 42 व नया 113 होकर आराजी नंबर व रकबा इस प्रकार है आराजी न0 333 रकबा1.5400 है0 लगानी 3.08 एवं आराजी न0 340 रकबा 0.2600 है0 लगानी 5.46 आराजी न0 341 रकबा 0.2000 है0 लगानी 4.20 कुल खसरे 3 कुल रकबा 2.0000 है0 कुल लगानी 12.7400 है। प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारों के नाम पर संयुक्त खातेदारी में राजस्व जमाबंदी संवत 2074 से 2077 में दर्ज होकर उक्त आराजियात में प्रार्थी संख्या 1 का 1/3 व प्रार्थी संख्या 2 का 1/3 हक व हिस्सा होकर प्रार्थीगण अन्य सहखातेदारों के साथ काबिज होकर कृषि कार्य करते है। उक्त कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात भूमि से लगती हुई उत्तर दिशा में आ0न0 327/566 रकबा 0.7500 है0 बिलानाम सरकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा इस आ0न0 327/56 के बाद पूर्व दिशा में सडक स्थित है जिसके आ0न0 331 है। आ0न0 331 में स्थित रास्ते से बिलानाम आ0न0 327/566 में प्रवेश कर प्रार्थीगण व अन्य सह खातेदार कदीम से अपनी कालम संखया 1 में वर्णित जमीन में आ रहे है और कृषि सामान आदि लाते व ले जाते रहे है। प्रार्थीगण व अन्य सह खातेदारों अपनी जमीन में जाने के लिए बिलानाम भूमि आ0न0 327/566 से ही अपने कृषि उपज आदि लाते ले जाते रहे है प्रार्थीगण की अपनी कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए इसके अलावा अन्य कोई रास्ता न तो वर्तमान मे है और न ही रहा है प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदार आ0न0 327/566 से आते जाते रहते है जो रास्ते से लगी हुई है। आ0न0 327/566 में होकर गुजरना पडता है जिस भूमि से आने जाने के रास्ते को कुछ भू माफियाओं ने तारबंदी व गढढे कर कुछ समय पूर्व बंद कर दिया है। प्रार्थीगण व अन्य सह खातेदारों ने मिलकर विपक्षी से इसकी शिकायत कर रास्ता खुलवाने का निवेदन किया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही इस बाबत नही की गई जिससे उक्त तारबंदी आज भी यथावत कायम है जिसके चलते प्रार्थीगण का अपनी भूमि से आना जाना बंद हो गया है और प्रार्थीगण अपनी भूमि का उपयोग नही कर पा रहे है न ही खेती कर पा रहेहै प्रार्थीगण व अन्य सह खातेदार की भूमि पर जाने का यही एक रास्ता है जो बंद हो गया है जिससे काफी नुकसान हो रहा है और खेती कार्य हो पा रहा है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि आने जाने खेती उपज आदि लाने ले जाने के लिए 30 फीट चौडाई के रास्ते की आवश्यकता है जिससे प्रार्थीगण व अन्य सह खातेदार सुगमता पूर्वक आ जा सके तथा अपने साधन ला ले जा सके। उक्त रास्ता बिलानाम आ0न0 327/566 मे से दिलाया जाना आवश्यक है प्रार्थीगण उक्त रास्ते की नियमानुसार बनने वाली शुल्क की राशि भी अदा करने को तैयार है। कृषि भूमि राजस्व ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का कानरखेडा स्थित होने से आप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण को उसकी आराजियात भूमि जिसका उल्लेख प्रार्थनापत्र की कालम संख्या 1 में अंकित किया गया है कि उसमें कृषि उपज आदि सुगमता पूर्वक गुजरने हेतु बिलानाम आ0न0 327/566 रकबा 0.7500 है0 भूमि में से 30 फीट चौडा मार्ग कायम करा प्रार्थीगण को दिलाया जावे तथा उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व नक्शे में रास्ते के रूप में दर्ज कराया जावें ।

1. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी उपस्थित आऐ। राजपेरोकार द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भूपालसागर से बिन्दुवार रिपोर्ट मंगवाई गई।
2. प्रकरण में वकील प्रार्थी, राजपेरोकार की बहस सुनी। बहस के दौरान बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता पास की खातेदारी आराजी से रास्ता दिया जाने हेतु निवेदन किया। राजपेरोकार तहसीलदार भूपालसागर द्वारा अपनी बहस में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए रास्ता दिया जाने से कोई आपत्ति होना बताया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.01 16:40:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

3. हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार भूपालसागर से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :—

(1) क्या प्रार्थीगण 'को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हां तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमांबदी)

प्रकरण में तहसीलदार भूपालसागर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम कल्याणपुरा के आ.सं. 333, रकबा 1.54 है., आ.सं. 340 रकबा 0.26 है., आ.सं. 341 रकबा 0.20 है. में आने जाने बाबत आ.सं. 327/566 रकबा 0.75 है. में होकर निकटतम मार्ग है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता व निकटतम मार्ग नहीं है।

(2) यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण —पत्र प्रस्तुत करावें।

तहसीलदार, भूपालसागर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम कल्याणुपरा के आ.सं. आ.सं. 333, रकबा 1.54 है., आ.सं. 340 रकबा 0.26 है., आ.सं. 341 रकबा 0.20 है. में आने जाने बाबत आ.सं. 327/566 रकबा 0.75 है. में होकर निकटतम मार्ग है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता व निकटतम मार्ग नहीं है।

(3) यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।

रिपोर्ट तहसीलदार, मौका पर्चा व नक्शा ट्रेस संलग्न है।

(4) यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

—रिपोर्ट तहसीलदार, भूपालसागर दि. 12.09.2024 एवं 17.11.2025 संलग्न है।

(5) सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

तहसीलदार, भूपालसागर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आ.सं. आ.सं. 333, रकबा 1.54 है., आ.सं. 340 रकबा 0.26 है., आ.सं. 341 रकबा 0.20 है. में से 10 मीटर चौडा लम्बाई 100 मीटर कुल 0.1000 वर्गमीटर रास्ते हेतु प्रस्तावित की है। वर्तमान डी.एल.सी. दर 5,53,489 रूपये प्रति है0 से रकबा 0.10 है. की मालियत 55,349 रूपये बनती है। जिसका दुगुना करने पर कुल राशि 1,10,698 रूपये होती है।

कमिश्नर से प्राप्त उक्त रिपोर्ट्स अनुसार प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध करवाया जाने के लिये उक्त प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि कल्याणपुरा पटवार हल्का कानरखेड़ा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी आ.सं. 333, रकबा 1.54 है., आ.सं. 340 रकबा 0.26 है., आ.सं. 341 रकबा 0.20 है. है। प्रार्थी की आराजीयात में आने जाने हेतु अप्रार्थी की आ.सं. 327/566 में से रास्ता चाहा हैं। रास्ता दिये जाने में तहसीलदार भूपालसागर द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है व सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। प्रार्थीया ने स्वयं न्यायालय मे उपस्थित होकर 15फीट चौडा रास्ता ही आवश्यक होना बताकर 15 फीट चौडा रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया पत्रावली पर हस्ताक्षर किये।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कल्याणपुरा पटवार हल्का कानरखेड़ा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी नं. आ.सं. 333, रकबा 1.54 है., आ.सं. 340 रकबा 0.26 है., आ.सं. 341 रकबा 0.20 है. में आने जाने हेतु प्रार्थीया के निवेदन अनुसार अप्रार्थी की आ.सं. 327/566 में से 4.57 मीटर चौड़ा व 100 मीटर लम्बा कुल 457 वर्गमीटर है, जिसका जिसका राजस्व नक्शा ट्रेस व पर्चा मौका रिपोर्ट दिनांक 12.09.2024 संलग्न है, का रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात पर पहुंच हेतु कायम किया जावे। उक्त भूमि डीएलसी दर 5,53,489 रूपये प्रति हैक्टयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 457 वर्गमीटर की कुल मालियत 25295 रूपये का दुगुना 50590 रूपये (अक्षरे पच्चास हजार पांच सौ नब्बे रूपये) राशि प्रार्थी से वसूल कर अप्रार्थी को उपलब्ध करवायी जावे। उक्त राशि उपलब्ध कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। तदनुसार नक्शो में तरमीम की जावे। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा, केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.01 16:40:54 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर